

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>जगदीश गुर्जर बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार शेरगढ)</p> <p>सू.अ.अ. अपील संख्या : 09/2022</p>	<p>नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>09-02-2022</p>	<p>अपीलार्थी जगदीश गुर्जर, पता ग्राम पोस्ट दासानिया, वाया सोमेश्वर तहसील शेरगढ जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 12.12.2021 में उसके द्वारा (1) ग्राम दासानिया में स्थित ओरण गोचर व सरकारी जमीन का खसरा नम्बर व नक्शा ट्रेस सहित विस्तृत विवरण की प्रमाणित प्रति से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार शेरगढ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (तहसीलदार शेरगढ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.पक्ष (तहसीलदार शेरगढ) से जरिये पत्रांक 45 दिनांक 01.02.2022 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया गया कि अपील संख्या 09/2022 श्री जगदीश निवासी दासानियां तहसील शेरगढ के संबंध में सूचना तैयार कर अपीलकर्त्ता को भिजवा दी गई है।</p> <p>चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रेषित की जा चुकी है, परन्तु सूचना नियत अवधि में नहीं दी गई जो खेदजनक है अतः लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार शेरगढ) को हिदायत दी जाती है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों का निस्तारण नियत अवधि में करे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	

